



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2003/फाल्गुन 13, 1924

No. 215]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2003/PHALGUNA 13, 1924

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2003

का.आ. 252(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 29 अक्टूबर, 2002 में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की 29 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 1136(अ) द्वारा उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि उक्त संस्मारक के निकट सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी गई थी ;

और उक्त राजपत्र 16-11-2002 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

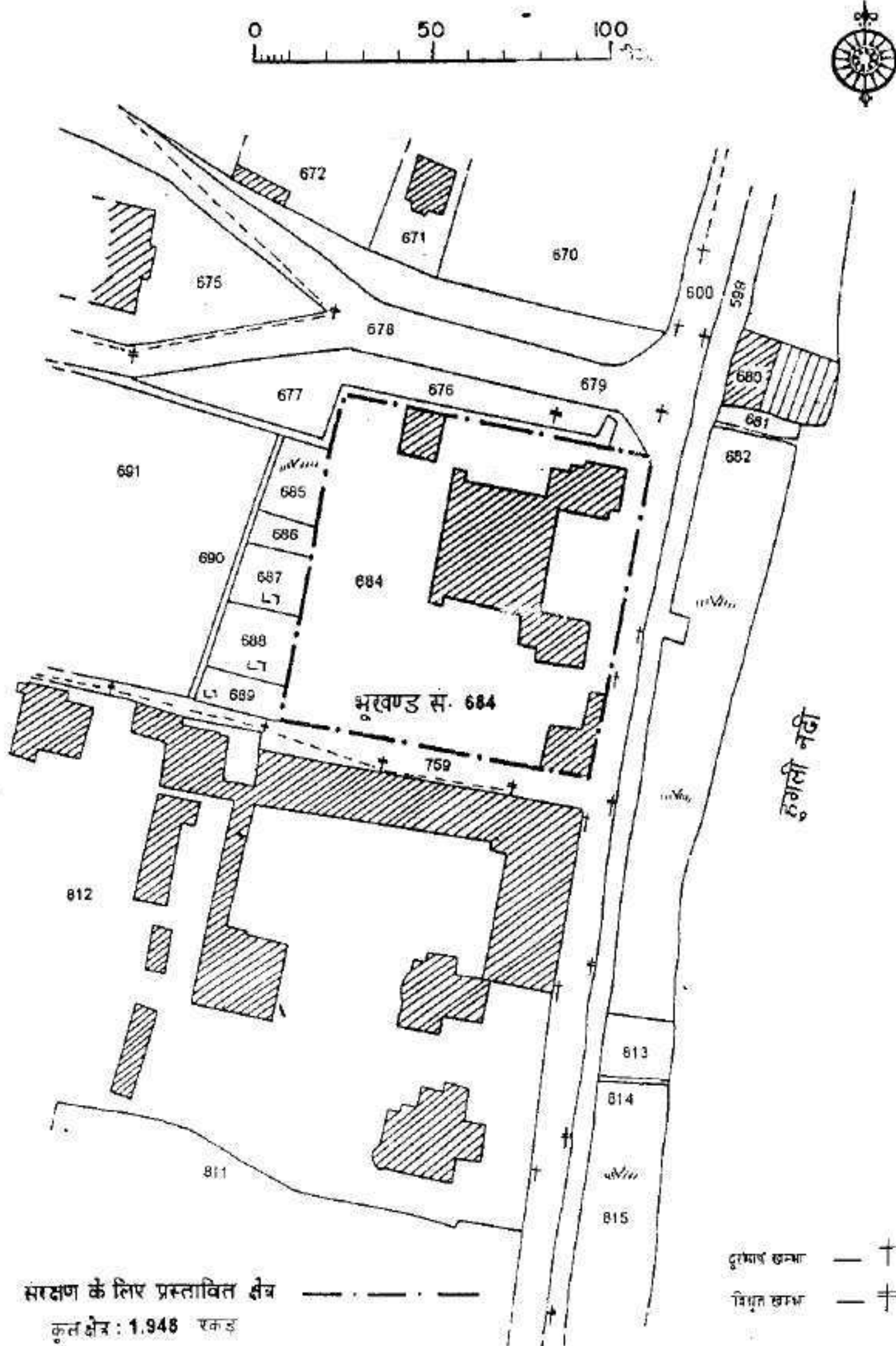
और केन्द्रीय सरकार को जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उसके साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

अनुसूची

राज्य	जिला	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	संरक्षण में सम्मिलित किया जाने वाला राजस्व प्लॉट	क्षेत्र	स्वामित्व	सीमाएं	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिमी बंगाल	हुगली	मौजा : चंदन नगर, पुलिस थाना : चंदन नगर	डूपलेक्स पैलेस	प्लॉट सं. 684	1.948 एकड़	पश्चिमी बंगाल सरकार	उत्तर : प्लॉट सं. 676 (सड़क) और प्लॉट सं. 677 पूर्व : प्लॉट सं. 600 दक्षिण : प्लॉट सं. 759 पश्चिम : प्लॉट सं. 676 (सड़क) प्लॉट सं. 685, 686, 687, 688 और 689	

डुप्लेक्स महल का स्थल मानचित्र
(चन्दन नगर संस्थान) चन्दन नगर,
जिला हुगली, पश्चिम बंगाल



[फा. सं. 2/6/1/2000-एम]
कस्तूरी गुप्ता मेनन, महानिदेशक

DEPARTMENT OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2003

S.O. 252(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Department of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 1136(E) dated the 29th October, 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 29th October, 2002, the Central Government gave two months' notice of its intention to declare the ancient monument specified in the site plan and the Schedule to the said notification to be of national importance and a copy of the notification was affixed in a conspicuous place near the said ancient monument:

And whereas the said Gazette was made available to the public on 16th November, 2002:

And whereas no objection from the public have been received by the Central Government:

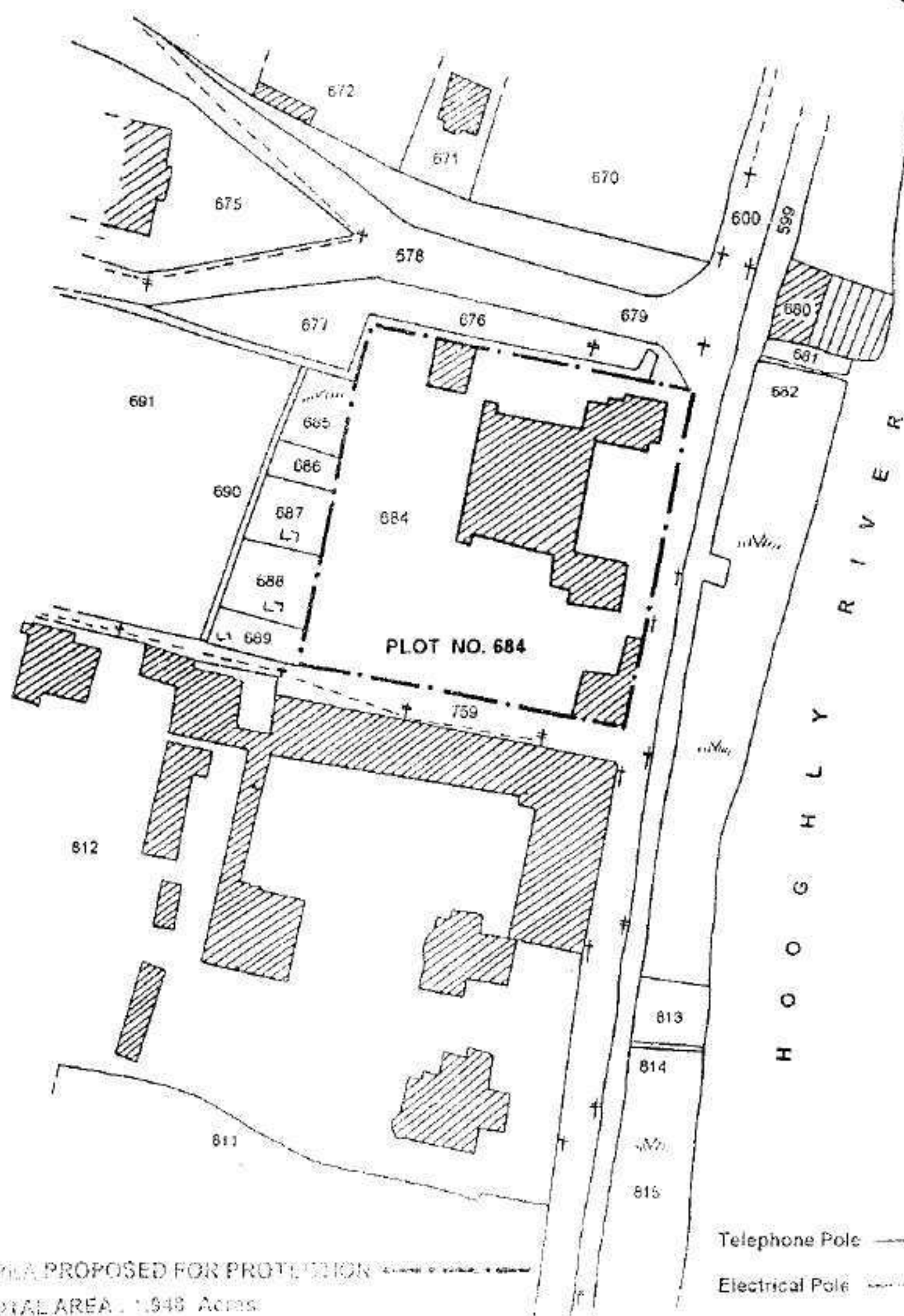
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said ancient monument specified in the site plan and the Schedule annexed hereto, to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Locality	Name of Monument	Revenue plot to be included under protection	Area	Ownership	Boundaries	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
West Bengal	Hooghly	Mouza : Chandan Nagar P.S. Chandan Nagar	Dupleix Palace	Plot No. 684	Acres 1.948	Government of West Bengal	North : Plot No. 676 (Road) and Plot No. 677 East : Plot No. 600 South : Plot No. 759 West : Plot No. 676 (Road) Plot Nos. 685, 686, 687, 688 and 689.	

SITE PLAN OF
DUPLEIXE PALACE
 (INSTITUTE de-CHANDANNAGAR)
 AT CHANDAN NAGAR, DISTT. HOOGHLY
 WEST BENGAL

0 50 100
 METRES



[F. No. 2-6/1/2000-M]

KASTURI GUPTA MENON, Director General